

संख्या:-सोलन/रीडर/जि0द0/1-14/89-4-3989

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी

सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0)


दिनांक सोलन 06 अप्रैल, 2020

### आदेश

उक्त आदेश इस कार्यालय के आदेश संख्या: सोलन/रीडर/जि0द0/1-14/89-4-3858 दिनांक 03 अप्रैल, 2020 व आदेश संख्या: सोलन/रीडर/जि0द0/1-14/89-4-3976 दिनांक 04 अप्रैल, 2020 की निरन्तरता जिसमें कफर्यू अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं में कार्यरत ट्रक चालकों की सुविधा के लिए उप-मण्डल सोलन, कण्डाघाट व अर्की में कुछ टायर पंचर की दुकानों को खोला गया है इसी कड़ी में अब अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में आया है कि जिला सोलन के उप-मण्डल नालागढ में भी टायर पंचर की दुकानें बन्द होने की वजह से आवश्यक सेवाओं में कार्यरत चालकों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः चालकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह आदेश किए जाते हैं कि उप-मण्डल नालागढ में निम्नलिखित टायर पंचर की दुकानें अगले आदेश तक (24X7) खुली रहेंगी बशर्ते कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों जैसे उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि कोविड-19 जैसी महामारी को रोका जा सके।

उप-मण्डल नालागढ		
क्रम संख्या	दुकान मालिक का नाम व पता	मोबाईल न0
1.	श्री जोगिन्द्र सैणी, रोपड रोड नालागढ, नजदीक हिसार पम्प	98053-19954
2.	श्री रमेश कुमार, किशनपुरा	70183-21891
3.	श्री राकेश कुमार, मानपुरा	86799-59270
4.	श्री हरि ओम बददी	98595-10010
5.	श्री संदीप कुमार, सैणी टायर, चौकीवाला	75600-10031


नोट:- अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

  
के0सी0 चमन (भा0प्र0से0)  
जिला दण्डाधिकारी  
सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0)  
दिनांक 06 अप्रैल, 2019

पृष्ठांकन संख्या:- यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला बददी से अनुरोध है कि सभी टायर पंचर दुकान मालिकों को दुकानें चलाने में सहयोग प्रदान करें।
2. अतिरिक्त जिलाधीश, सोलन।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) नालागढ।
4. उपर्युक्त सभी टायर पंचर दुकान मालिक।

  
के0सी0 चमन (भा0प्र0से0)  
जिला दण्डाधिकारी  
सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0)